

न्यायाधीशों की सेवानिवृत्त आयु बढ़ाने की फलिहाल कोई योजना नहीं

चर्चा में क्यों?

हाल ही में वधि और न्याय मंत्रालय ने एक संसदीय स्थायी समिति द्वारा न्यायाधीशों की सेवानिवृत्त आयु बढ़ाने के लिये की गई सफारिश का जवाब देते हुए यह स्पष्ट किया कि वर्तमान में न्यायाधीशों की सेवानिवृत्त आयु बढ़ाने की योजना नहीं है।

क्या थी संसदीय स्थायी समिति की सफारिश?

- सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्त आयु बढ़ाकर 67 साल कर दी जानी चाहिये और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्त आयु बढ़ाकर 65 साल कर दी जानी चाहिये।
- भूपेन्द्र यादव की अध्यक्षता वाली समिति का मानना है कि ऐसा करने से मौजूदा न्यायाधीशों को बनाए रखने में मदद मिलेगी और इससे न्यायिक रक्तियों के साथ-साथ लंबित मामलों की संख्या को कम करने में भी मदद मिलेगी।

समिति द्वारा व्यक्त की गई चिंताएँ

- समिति ने संसद में पेश की गई अपनी रिपोर्ट में उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों के रक्त पदों की बड़ी संख्या पर चिंता जताई।
- अब तक देश भर के 24 उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों के कुल 1,079 स्वीकृत पदों में से केवल 695 पद ही भरे गए हैं।

वधि और न्याय मंत्रालय का रुख

- मंत्रालय ने कहा कि उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नयुक्ति न्यायपालिका और कार्यपालिका की सतत् और सहयोगात्मक प्रक्रिया है।
- मंत्रालय के अनुसार, रक्त पदों को तेजी से भरने के लिये हर संभव प्रयास किये जाते हैं। कति सेवानिवृत्त, इस्तीफे या न्यायाधीशों की प्रोन्नत और न्यायाधीश की शक्ति में वृद्धि के कारण रक्तियों उत्पन्न होती रहती हैं।

सेवानिवृत्त आयु बढ़ाने के लिये 2010 में भी हुई थी पहल

- अगस्त 2010 में तत्कालीन केंद्रीय कानून मंत्री एम. वीरप्पा मोइली ने लोकसभा में संवधान (114वाँ संशोधन) वधियक, 2010 पेश किया था जिसमें उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्त आयु को बढ़ाकर 65 वर्ष करने का प्रस्ताव था लेकिन संसद में इस पर कोई वधि नहीं किया गया और 15वीं लोकसभा भंग होने के साथ ही यह समाप्त हो गया।

स्रोत- द हिंदू